केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 246 शनिवार 5 अप्रैल 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

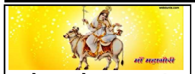

महागौरी : अलौकिक सिद्धियां देती हैं मां दुर्गा की आठवीं शक्ति...

नवरात्रि में आठवें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है।

अष्टवर्षा भवेद् गौरी यानी इनकी आयु आठ साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं। इसीलिए उन्हें श्वेताम्बरधरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है ।

इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाँये हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। ये अमोघ फलदायिनी हैं और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मष धुल जाते हैं। पूर्वसंचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन–अर्चन, उपासना–आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं।

एक नजर

उभाई कांडः पेश हुए 5 पुलिस कर्मी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। दुबौलिया थानाक्षेत्र के उभाई गांव में आदर्श के मौत के मामले में पांच पुलिसकर्मी सीडब्ल्यूसी के समक्ष बयान के लिए पहुंचे। इसमें एक महिला कांस्टेबल सहित चार अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। लेकिन थानेदार दूसरे नोटिस के बाद भी नहीं आए। सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन प्रेरक मिश्रा ने बताया की पांच पुलिसकर्मियों ने बयान दर्ज कराया है। गौरतलब है कि दुबौलिया थानाक्षेत्र के उभाई गांव के किशोर आदर्श उपाध्याय को पुलिस ने हिरासत में लिया था। 25 मार्च को परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पिटाई की थी और उससे हालत गंभीर हुई थी और उसकी मौत हो गई थी। मामले में किशोर के परिजनों को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई थी।

दूसरी ओर डीएम ने भी मामले में एक जांच सीडब्ल्यूसी को सौंपी है। सीडब्ल्यूसी 29 मार्च को एसपी बस्ती के माध्यम से बयान के लिए नोटिस भेजा था। लेकिन आरोपी पुलिसकर्मी पेश नहीं हुए। सीडब्ल्यूसी ने दूसरा नोटिस दो अप्रैल को पुनः भेजा था। नोटिस के क्रम में गुरुवार को पुलिसकर्मी बयान दर्ज करने आए थे। इस बाबत सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन प्रेरक मिश्रा ने बताया कि थानेदार सहित तीन पुलिसकर्मी बयान के लिए पेश नहीं हुए हैं। अंतिम नोटिस भेज उन्हे बयान के लिए अवसर दिया जाएगा।

आग से 300 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। रुधौली थानाक्षेत्र के आधा दर्जन गांव में शुक्रवार दोपहर लगी आग से लगभग 300 बीघा खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग एक गांव से दूसरे गांव तक फैलती जा रही थी। तेज पछुआ हवा के कारण आग बेकाबू होती गई। सूचना पर पहुंची फॉयर ब्रिगेड की गाड़ी ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार दूबे हमराहियों के साथ लगे रहे। आग से हुए भारी नुकसान के बाद क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार पैड़ी गांव के सीवान में अज्ञात कारण से गेहूं के खेत में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग एक गांव में कहर ढहाते हुए दूसरे गांव में प्रवेश कर जा रही थी।

वक्फ बिल पर रालोद में भी बगावत महासचिव शाहजेब रिजवी ने इस्तीफा दिया

लखनऊ (आभा)। वक्फ बिल पर जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल रालोद में भी बगावत हो गई है। रालोद के प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने संसद में वक्फ बिल का समर्थन करने के जयंत चौधरी के फैसले से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा देने के साथ ही पार्टी भी छोड़ दी है। शाहजेब ने एक वीडियो जारी कर जयंत चौधरी के फैसले को मुसलमानों के साथ विश्वासघात भी बताया है। अपने वीडियो में शाहजेब ने कहा कि जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर आए वही पार्टी आज मुसलमानों के खिलाफ बन रहे कानून में जयंत चौधरी ने अपनी सहमति जताई है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भी बगावत हो गई है। वहां भी इस्तीफे शुरू हुए हैं।

शाहजेब ने पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सेक्यूलिरिज्म की बात करते थे। आज मुसलमानों की बदौलत ही यहां तक पहुंचे हैं। आज सरकार में भी बैठे हैं। लेकिन उनके इस कदम से मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया है। शाहजेब ने कहा कि सेक्यूलिरिज्म की बातें तो करते हैं। मुसलमानों की बातें करते हैं लेकिन आज जब मुसलमानों की जरूरत है तो उनके खिलाफ बन रहे कानून पर इस तरह का फैसला ले लिया। कहा कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं। आप सरकार में बैठे हैं लेकिन चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते से भटक गए हो। हम लोग जयंत चौधरी के फैसले से निराश हैं।

सफाई कर्मियों को पुरस्कृत कर बढाया हौसला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शुक्रवार को नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नेहा वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रतिनिधि अंकुर वर्मा, ई. ओ./ उप जिलाधिकारी सुनिष्ठा सिंह ने नगरीय निकायों में नगरीय सुविधाओं एवं साफ–सफाई की व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु 'डेडिकेटेड कमांड कन्ट्रोल सेन्टर (डीसीसीसी) के सफल संचालन की अवधि तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में सभी वार्डो से चयनित 15 सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर उत्साहवर्धन किया।

नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नेहा वर्मा ने कहा कि पालिका क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वार्डो के सभासदों के सहयोग से डीसीसीसी से जुड़े लोग शहर में स्वच्छता के लिये नियमित कार्य करते हैं। उनका उत्साहवर्धन होना चाहिये।

इस मौके पर परमेश्वर शुक्ल पप्पू के साथ ही नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

शहाबुद्दीन मीट शाप का लाइसेंस निरस्त

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड द्वितीय ने पैकोलिया थाना क्षेत्र के बुधिया गांव में संचालित शहाबुद्दीन मीट शाप का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। सहायक आयुक्त ने यह आदेश पुलिस अधीक्षक के रीडर के पत्र के आधार पर दिया है।

प्रेस को यह जानकारी देते हुये भारतीय जनता पार्टी नेता सन्तोष शुक्ल 'गर्ग' ने बताया पैकोलिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुस्लिम पैकोलिया के बुधिया गांव में शहाबुद्दीन के लाइसेंस पर मो. इसरार द्वारा मीट शाप का संचालन किया जा रहा था। शिकायत मिली की इस दूकान से गोमांस और भैसे आदि का मीट भी बेचा जा रहा था। उन्होने इसकी लिखित शिकायत डीआईजी से किया। मांग किया था कि व्यापक जनहित में शहाबुद्दीन मीट शाप का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय। इस आधार पर सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड द्वितीय ने लाइसेंस निरस्त कर देने का आदेश दिया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह मीट विक्रय का व्यापार बंद कर दे, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जायेगी।

डा. अंकित चतुर्वेदी ने त्याग पत्र दिया

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिला चिकित्सालय बस्ती में फिजीशियन के पद पर तैनात डा. अंकित चतुर्वेदी ने निजी कारणों से त्याग– पत्र दे दिया है। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजे पत्र में डा. अंकित चतुर्वेदी ने कहा है कि उन्हें विभाग में सेवा प्रदान करते हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके है। उनके पिता जी काफी वृद्ध हो चुके है, जो काफी समय से गम्भीर रूप बीमार चल रहे है, जिनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। सरकारी सेवा में सेवारत रहने के कारण वे उनकी उचित देखभाल करने में असहज पा रहा हूँ एवं काफी असुविधा हो रही है, जिसके कारण वे अपने राजकीय कार्यों एवं पद से स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहे हैं।

वक्फ बिल का दुरूपयोग हुआ तो बसपा मुस्लिम समाज के साथ

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष अनिल कुमार गौतम ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल भले ही पास करा लिया हो किन्तु इसका दुरूपयोग हुआ तो बसपा चुप नहीं रहेगी।

बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के एक्स हैण्डिल का हवाला देते हुये अनिल गौतम ने कहा उन्होने स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ संशोधन बिल जल्दबाजी में लाया गया। यदि देश की जनता को समझने का मौका दिया गया होता तो सभी सन्देह दूर हो जाते। सरकार ने बिल को पास कराने में बहुत जल्दबाजी दिखायी है यह उचित नहीं। बिल पास हो जाने के बाद यदि सरकारें इसका दुरूपयोग करती हैं तो बसपा मुस्लिम समाज के साथ खड़ी है। उनके साथ किसी भी स्थिति में अन्याय नहीं होने पायेगा।

निजी प्रेक्टिस करने वाले सरकारी डाक्टरों पर कसा शिकंजा, खलबली

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती,। सरकारी सेवा में रहकर निजी प्रैक्टिस में लिप्त चिकित्सकों की मांगी गई सूचना देने में तीन अस्पताल के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। इसके बावजूद अब शासन स्तर पर ऐसे डाक्टरों पर लगातार कसते जा रहे शिकंजे से खलखली का माहौल है।

इस मामले में सीएमओ ने सख्ती दिखाई है। मेडिकल कॉलेज बस्ती, टीबी अस्पताल और हर्रैया महिला अस्पताल के सीएमएस को चेतावनी पत्र जारी करते हुए तत्काल सूचना देने के लिए निर्देशित किया है। एक माह पूर्व प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने सीएमओ को पत्र जारी कर निजी प्रैक्टिस में शामिल चिकित्साधिकारियों की सूचना देने के लिए निर्देश जारी किया था। पूर्व सीएमओ ने अस्पतालों के अधिकारियों से चिकित्सकों की सूचना मांगी थी, जिसमें जिला अस्पताल अस्पताल और जिला महिला अस्पताल ने सूचना उपलब्ध कराया। लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, 100 बेड महिला अस्पताल हर्रैया के सीएमएस और टीबी हॉस्पिटल के सीएमएस ने सूचना नहीं दी। इससे शासन को सूचना नहीं जा सकी। इसको लेकर शासन स्तर पर नाराजगी जताई गई।

अब सीएमओ डॉ. राजीव निगम ने ऐसे अस्पतालों के अधिकारियों पर सख्ती की है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य, टीबी अस्पताल और हर्रैया महिला अस्पताल के सीएमएस को पत्र भेजकर कहा है कि सेम–डे राजकीय चिकित्सक निजी प्रैक्टिस में लिप्त नहीं हैं तो कार्यरत सभी चिकित्सकों से प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं किए जाने का शपथ–पत्र मानव संपदा कोड, लेवल और तैनाती स्थान का उल्लेख करते हुए मूल प्रति उपलब्ध कराएं। सीएमओ ने कहा कि एक माह पूर्व ही यह सूचना मांगी गई थी, लेकिन नहीं दिए। सीएमओ ने कहा कि यदि वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं कराए तो यदि राजकीय चिकित्सक निजी प्रैक्टिस में लिप्त पाया जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अस्पताल के नियंत्रक अधिकारी की होगी।

मनोज कुमार का निधनः अंतिम संस्कार शनिवार को

नई दिल्ली (आभा)। बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर मनोज कुमार का 87 की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली. मनोज कुमार अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे. इसलिए लोग उन्हें भारत कुमार भी कहते थे. उन्होंने 'क्रांति', 'पूरब और पश्चिम', 'उपकार', 'रोटी कपड़ा और मकान' जैसी कई फिल्में बनाई और देशभक्ति के साथ–साथ समाज की कमियों और समाधान को अपनी फिल्मों में दिखाते थे।

मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने पुष्टि की कि उनका अंतिम संस्कार शनिवार सुबह 11 बजे विले पार्ले के नानावटी अस्पताल के सामने पवन हंस में किया जाएगा। मनोज कुमार के निधन पर देश भर में श्रद्धांजलि का ताता लगा हुआ है।

आदर्श मौत प्रकरणः जांच रिपोर्ट, बयान के साथ सीसीटीवी फुटेज को भी बनाया जाये आधार-चन्द्रमणि पाण्डेय 'सुदामा'

-बाल कल्याण समिति को दिया पत्रः कार्रवाई की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। आदर्श उपाध्याय की मौत को लेकर जहां आये दिन राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों के लोग पीड़ित परिजनों से मिलकर परिजनों को सांत्वना देने के बहाने सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं वहीं दुबौलिया थाना अंतर्गत उभाई गांव में 25 मार्च की रात से ही पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने हेतु संघर्षरत समाजसेवी व भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय 'सुदामा' ने बाल कल्याण समिति के चेयर पर्सन प्रेरक मिश्र से मिलकर मामले के तह तक पहुंचने हेतु जांच रिपोर्ट व बयान के साथ साथ थाने के सीसीटीवी फुटेज को भी आधार बनाने की मांग किया।

सुदामा पाण्डेय ने कहा है कि बिना विधिक प्रक्रिया के नाबालिग को थाने में बैठाना धमकाना बाल अधिकार अधिनियम व जेजे बोर्ड के निर्देशों की अवहेलना है। प्रथम दृष्टया दोष अपराध बाल अधिकार अधिनियम के ही हनन का परिलक्षित हो रहा है । ऐसे में एसओ दुबौलिया सहित सभी दोषी पुलिसकर्मियों के कथन की पुष्टि हेतु सीसीटीवी फुटेज देखा जाये जिससे स्पष्ट हो कि अवैधानिक रूप से नाबालिग को कब से कब तक व क्यों थाना परिसर में बैठाये रखा गया। परिजनों को सौंपते वक्त मेडिकल क्यों नहीं कराया गया अथवा एफआईआर उपरान्त किशोर बोर्ड को क्यों नहीं सौंपा गया ।

चेयर पर्सन को से कार्रवाई हेतु माग करने के दौरान सुदामा पाण्डेय के साथ महेंद्र प्रताप सिंह, जगतबली सिंह, चन्द्र प्रकाश तिवारी, विवेक दूवे, राजीव पाण्डेय, कृष्ण मोहन शुक्ल, पशुपतिनाथ व सुनील सिंह आदि मौजूद रहे।

समाज निर्माण में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण-महेश शुक्ल

–शिक्षक सम्मान समारोह शिक्षकोन्यन गोष्ठी में विमर्श

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शिक्षक सम्मान समारोह एवं शिक्षकोन्यन गोष्ठी का आयोजन शुक्रवार को चंद्रगुप्त मौर्य प्रभावंश महिला महाविद्यालय बनकटी के सभागार में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रिका सिंह की अध्यक्षता में हुआ। शिक्षक सम्मान समारोह के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संघ बनकटी के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश गौड़ की अगुवाई में गत 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए बनकटी ब्लाक के तीन परिषदीय शिक्षक लाल जी पाठक, अजीज अहमद, गिरीश पाण्डेय को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह, छड़ी आदि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गो सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष महेश शुक्ल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छे समाज निर्माण में शिक्षकों का सर्वश्रेष्ठ योगदान है। कहा कि शिक्षक की भूमिका केवल पाठ्यक्रम को पढ़ाने तक सीमित नहीं है। वे जीवन के विभिन्न पहलुओं में विद्यार्थियों के मार्गदर्शक भी होते हैं। एक अच्छा शिक्षक न केवल ज्ञान देता है, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे बच्चों को सोचने की स्वतंत्रता, आत्म–समर्पण और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना सिखाते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश शुक्ल, शिक्षाविद प्रसून शुक्ल, अरविंद पाल, रघुनाथ सिंह, सुरेन्द्र तिवारी, बीईओ अरुण कुमार यादव, जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा, कोषाध्यक्ष दुर्गेश यादव आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि समारोह का उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को सराहना और प्रोत्साहित करना है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं और छात्रों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा उठाने में सहायक होते हैं।उनका सम्मान और आदर करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि शिक्षक हमारे समाज के असली निर्माता होते हैं। कार्य मुक्त हुए एआरपी अजय पाल, वंश राज गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, दीपक पाण्डेय, राकेश मिश्र राही को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर डॉ अनिल मौर्य, डॉ नीलम मौर्य, आलम चौधरी, अर्जुन उपाध्याय, अंकित पाण्डेय पवन, सुधीर तिवारी, रवीश कुमार मिश्र, विवेक कान्त पाण्डेय, उमाकांत शुक्ल, सनद पटेल, प्रताप नारायण, राजेश गिरी, संतोष मिश्र, मो. असलम, मक्खन लाल, वीरेन्द्र शुक्ल, सतीश यादव, शारदा प्रसाद चतुर्वेदी, विष्णु दत्त शुक्ल, हरिश्चंद्र चौधरी, शेषमणि पटेल, अशोक मौर्य, शांति देवी, सोनू पाल, गुरु चरण चौधरी, प्रभावती चौधरी, हरिकेश प्रजापति, राजकेश चौहान, हृदय विकास पाण्डेय, दिनेश त्रिपाठी, कृष्णकांत तिवारी, राजकुमार शुक्ल, चंद्रशेखर गुप्ता, प्रदीप मिश्र, सुभाष गुप्ता, भोले प्रसाद, डॉ कृष्ण कुमार यादव, विवेक त्रिपाठी, आदित्यनाथ पाण्डेय, महेंद्र पटेल, हेमंत वर्मा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और कर्मचारी मौजूद रहे।

शिक्षक नेता अखिलेश मिश्र के निधन से शोक की लहर:शिक्षकों ने दिया सामूहिक श्रद्धांजलि

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष और कप्तानगंज विकास खण्ड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर में तैनात बढनी मिश्र निवासी अखिलेश मिश्र के निधन से शोक की लहर है। इलाज के दौरान लखनऊ में उनका बीते गुरूवार को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार अयोध्या में सरयू तट पर हुआ। मुखाग्नि उनके पुत्र राजन ने दिया। वे अपने पीछे दो पुत्र, एक अविवाहित पुत्री और भरा पूरा परिवार छोड़ गये हैं। शुक्रवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल के संयोजन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाओं, संघ पदाधिकारियों, बीएसए अनूप कुमार तिवारी के साथ ही कर्मचारियों ने अखिलेश मिश्र को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। कहा कि जनपद ने एक कुशल नेतृत्व और समर्पित शिक्षक खो दिया है।

संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने कहा कि दुःख की इस घड़ी में सभी शिक्षक अखिलेश मिश्र के दुःखी परिवार के साथ है। उनके समस्त देयकों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण कराया जायेगा। बीएसए अनूप कुमार तिवारी ने कहा कि विभागीय स्तर पर सभी औपचारिकतायें प्राथमिकता से पूरी करायी जायेंगी।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष अखिलेश मिश्र को श्रद्धासुमन अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से खण्ड शिक्षा अधिकारी कप्तानगंज प्रभात कुमार श्रीवास्तव, सतीश शंकर शुक्ल, शैल शुक्ल, सूर्य प्रकाश शुक्ल, महेश कुमार, राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजकुमार सिंह, राम प्रकाश शुक्ल, सरिता पाण्डेय, रामभरत वर्मा, इन्द्रसेन मिश्र, चन्द्रभान चौरसिया, देवेन्द्र वर्मा, रामपाल चौधरी, राजेश चौधरी, उमाशंकरमणि त्रिपाठी, कृष्ण कुमार, दिवाकर सिंह, योगेश्वर शुक्ल, सन्तोष शुक्ल, राजीव पाण्डेय, प्रमोद पासवान, ज्ञान उपाध्याय, विवेकानन्द चौरसिया, प्रमोद त्रिपाठी, अम्बिका पाण्डेय, वृजेश कुमार पाण्डेय, दिनेश वर्मा, राजेश चौधरी, रीता शुक्ल, रमेश चौधरी, राजेश पाठक, राजीव पाण्डेय, आशुतोष पाण्डेय, रमेश विश्वकर्मा, मुक्तिनाथ वर्मा, बब्बन पाण्डेय, चन्द्रशेखर पाण्डेय, प्रवीन श्रीवास्तव, विनय कुमार, सुनील कुमार भट्ट, त्रिलोकीनाथ, राजेश कुमार, शिवनन्दन मिश्र, उमाशंकर पाण्डेय, गिरजेश उपाध्याय, विजय प्रकाश चौधरी, वीरेन्द्र शुक्ल, आजाद, जय प्रकाश शुक्ल, मारूफ खान के साथ ही अनेक शिक्षक, शिक्षा मित्र, का.के.के. तिवारी, सन्तोष कुमार गुप्त, जय प्रकाश श्रीवास्तव एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, सदस्य शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती

बस्ती 5 अप्रैल 2025 शनिवार

सम्पादकीय

अमेरिका का टैरिफ और भारत

पूरी दुनिया को टैरिफ युद्ध की चेतावनी देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब इसे हकीकत बना दिया है। तमाम विकासशील व विकसित देशों के साथ भारत भी इसकी जद में आया है। मौके की नजाकत को समझते हुए भारत ने हालात से समझौता करने का निर्णय किया है। कमोबेश, इसके तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ के मुकाबले लगाए गए टैरिफ को स्वीकार कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा ने अपने–अपने देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिये जवाबी कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत के लिये अच्छी बात यह है कि हमारे मुख्य प्रतिस्पर्धी–चीन, वियतनाम,बांग्लादेश और थाईलैंड पर हम से कहीं अधिक शुल्क लगाया गया है। नई दिल्ली को यह भी उम्मीद है कि वाशिंगटन के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम चल रहा है, जिसके जरिये घरेलू उद्योग को टैरिफ वृद्धि के दुष्प्रभावों से निपटने में मदद मिल सकती है। वैसे देखा जाए तो भारत के लिये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक अवसर मौजूद हैं। इस दौरान भारत को व्यापार करने में आसानी बढ़ाने तथा लाभांश प्राप्त करने के लिये अपने बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। इससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी बल मिलेगा। ध्यान रहे कि ऐसा ही अवसर भारत के सामने तब भी आया था जब कोविड–19 महामारी के चलते चीन के उत्पादन की रफ्तार धीमी हो गई थी। चीन ने ऐसा कदम लंबे समय से चली आ रही जीरो टॉलरेंस की कोविड नीति के चलते उठाया था। जिसके चलते अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को विकल्प तलाशने के लिये प्रेरित किया था। लेकिन भारत इसके बावजूद हालात का ज्यादा लाभ नहीं उठा पाया था। विडंबना ये रही कि वियतनाम और थाईलैंड वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों का अधिकतम लाभ उठाने में भारत से आगे निकल गए। अतीत से सबक लेकर भारत को नई स्थितियों का लाभ उठाने के लिये बेहतर ढंग से तैयार रहना चाहिए।

वैसे इन हालात में बहुत कुछ भारत की तुलना में ट्रंप के टैरिफ से अधिक प्रभावित देशों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। इन स्थितियों में एक चिंताजनक संभावना यह भी है कि चीन और वियतनाम जैसे देश पहले से ही अमेरिका के लिये निर्धारित अपने निर्यात को भारत में भेजने की कोशिश कर सकते हैं। जिसमें कम लागत वाले सामानों के जरिये भारतीय बाजारों को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। भारतीय बाजार तो पहले ही चीन के सस्ते उत्पादों से पटे पड़े हैं। जिससे दोनों देशों में व्यापार असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023–24 के वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच व्यापार में हमारा घाटा 85 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। वैसे चिंता की बात यह भी है कि भारत ने बीजिंग के साथ व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में कुछ खास कदम नहीं उठाये हैं। हालांकि, भारत ने कुछ चीनी उत्पादों पर एंटी–डंपिंग ड्यूटी जरूर लगाई है। इसका मकसद स्वदेशी उत्पादों को पड़ोसी देश के सस्ते आयात से संरक्षण देना ही था। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ से होने वाले नुकसान को कम करने की योजना को लागू करते वक्त इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयासों के साथ चलना होगा कि कहीं चीन भारत को प्रतिस्पर्धा के बाजार में शिकस्त न दे दे। आज जब भारत दुनिया का सबसे अधिक युवाओं वाला देश है तो हमें अपनी श्रमशक्ति के बेहतर उपयोग की दिशा में गंभीरता से सोचना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम कौशल विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कुशल कामगारों से हम वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो सकते हैं। साथ ही विदेश निवेश बढ़ाने के साथ ही घरेलू निवेश को गति देने की दिशा में गंभीरता से सोचना होगा। अमेरिका समेत अन्य देशों में जो मंदी की आहट महसूस की जा रही है, उससे हम तभी अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षा दे सकेंगे। निस्संदेह, आने वाले दिनों में यह टैरिफ युद्ध दुनिया में और अधिक विस्तार ले सकता है। भारत को अपने निर्यात को अन्य देशों में बढ़ाने की दिशा में भी सोचना होगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत ताड़ीजोत वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(आरती देवी) ग्राम प्रधान **(दिनेश कुमार शुक्ल)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत अमारेडीहा वि0ख0 रामनगर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(बाबूलाल) ग्राम प्रधान **(शैलेन्द्र कुमार राव)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत इटबहरा वि0ख0 गौर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(बन्दना सिंह) ग्राम प्रधान **(प्रशान्त पाण्डेय)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत इब्राहिम चक शेखापुर वि0ख0 रामनगर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(मनोज कुमार पाण्डेय) ग्राम प्रधान **(शैलेन्द्र कुमार राव)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत बनरही जंगल वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(गीता देवी) ग्राम प्रधान **(किशन वर्मा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत बेलगड़ी वि0ख0 रामनगर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(दिनेश कुमार पाण्डेय) ग्राम प्रधान **(शालिनी त्रिपाठी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत रैकवार वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(बलराम चौधरी) ग्राम प्रधान **(अरविन्द कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत कोयलपुरा वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 16–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 17–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(सियाराम चौधरी) ग्राम प्रधान **(अरविन्द कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

देवरिया को मिली 20 नई एंबुलेंस की सौगात, 102 और 108 नंबर की एंबुलेंस बेड़े में शामिल

संवाददाता–देवरिया। शुक्रवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने 20 नई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इनमें 102 नंबर की 9 और 108 नंबर की 11 एंबुलेंस शामिल हैं। कृषि मंत्री शाही ने बताया कि जिले में पहले से करीब 80 एंबुलेंस कार्यरत हैं। इनमें से 4 मेडिकल कॉलेज में हैं और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रही हैं। योगी सरकार के प्रयासों से एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम 28 मिनट से घटकर अब 7–8 मिनट हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवरिया को कुल 37 एंबुलेंस देने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत पहली खेप में 20 एंबुलेंस मिल गई हैं। ये एंबुलेंस मरीजों को पीएचसी– सीएचसी से उठाकर बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने का काम करेंगी। वक्फ बिल संशोधन पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि यह कानून वक्फ की जमीनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। मुस्लिम समुदाय ने भी इस कानून का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अवैध वक्फ की जमीनें सरकारी संपत्ति हैं और इन्हें जब्त करना स्वाभाविक है।

पूर्व विधायक के बहू की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता–बलरामपुर। जनसंघ के पूर्व विधायक की बहू की हत्या कर दी गई। महिला का शव 40 किमी दूर गोंडा जिले के एक नाले में मिला है। हत्यारोपी बलरामपुर के भ्क्थ्ब बैंक में सेल्स ऑफिसर है। उसने पुलिस को बताया, वह मृतका का रिश्ते में भांजा लगता है। दोनों के बीच नजदीकी संबंध थे। लेकिन, कुछ दिनों से उसे नजरअंदाज कर रही थी। इसलिए उसका गला घोंट दिया, फिर नाले में शव फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। सुखदेव प्रसाद जनसंघ नेता थे। तुलसीपुर विधानसभा से वे 1967 में चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उनकी बेटी की बहू विनीता सरोज नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिविल लाइन में रहती थी। पति मदन कुमार आर्य गोंडा में बिजली विभाग में बाबू हैं। खुद विनीता आदर्श कंपोजिट विद्यालय में अनुदेशिका थी। दो बेटे और एक बेटी हैं। बेटी 24 साल की है। जबकि एक बेटा 21 साल का और दूसरा करीब 11 साल है। 1 अप्रैल शाम को विनीता लापता हो गई। पति मदन कुमार आर्य ने कोतवाली नगर में 2 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया– उनकी पत्नी विनीता सरोज 1 अप्रैल को कहीं चली गई। उसका पता नहीं चल रहा है। पुलिस तत्काल जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने परिजनों और आसपास के रहने वाले लोगों से पूछताछ किया। गुमशुदा के तलाश के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का भी सहारा लिया। रास्तों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज देखे गए। गुरुवार शाम 5 बजे पुलिस को जानकारी मिली कि गोंडा के खरगूपुर थाना क्षेत्र के मजरा परसौनी के पास एक पुल के किनारे ग्रामीणों को शव मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिनाख्त कराई। पति मदन ने शिनाख्त अपनी पत्नी के तौर पर की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के सामने यह केस अब चुनौती थी। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा। उसकी पहचान उमेश कुमार राव पुत्र सालिकराम के रूप में हुई।

चाकूबाजी का आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता–बलरामपुर। पुलिस ने चाकू से हमला कर युवक को घायल करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सहदेव के रूप में हुई है, जो माधव विश्वकर्मा का पुत्र है और मुड़िला गांव का रहने वाला है। घटना 2 अप्रैल को सामने आई, जब पीड़ित के पिता शरवन ने महराजगंज तराई थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि सहदेव ने पुरानी रंजिश के चलते उनके बेटे सुनील कुमार के गले पर चाकू से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार पांडेय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने 4 अप्रैल को आरोपी को टेढ़वा कौवापुर मोड़ से शिवानगर रोड हाईवे पर से गिरफ्तार कर लिया।

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)

(आर्डर 5 कायदा 3)

न्यायालय–श्रीमान नवम् अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला– बस्ती

वाद सं0 389/2001

पृथ्वीपाल आदि

बनाम

चर्तुभुज पाण्डेय आदि

2/1 कमला 2/2 राजू पुत्रगण स्व0 गंगाराम 2/3 गुडिया पुत्री स्व0 गंगाराम निवासीगण मौजा क्षतरिया तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील रूधौली जिला बस्ती

तारीख पेशी 07–05–2025

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2025 के माह 05 के 07 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत कृष्णा भगौती वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अनुराधा चौधरी) ग्राम प्रधान **(अवधेश प्रसाद)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत अवस्थीपुर वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(जंग बहादुर) ग्राम प्रधान **(अरविन्द कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत रसनी वि0ख0 साऊंघाट जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(कमल यादव) ग्राम प्रधान **(रीता चौधरी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत भोपालपुर वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 12–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(ओम प्रकाश) ग्राम प्रधान **(अरविन्द कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय उपनिदेशक (निर्माण)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0 नवीन मण्डी स्थल– बस्ती।

पत्राक: निर्माण/निविदा/ बस्ती/ 2025–564– दिनांक 04–04–2028

ई–निविदा की तिथि में संशोधन सूचना

पूर्व मे इस कार्यालय पत्रॉक 533 दिनॉक 19.03.2025 द्वारा आमंत्रित ई निविदा की टेण्डर आई०डी0न० 2025_RKUMP_1009370_2, एवं 2025_RKUMP_1009374_2, है जो ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर दिनांक 05.04.2025 के अपरान्ह 12.00 बजे तक डाउनलोड एवं अपलोड किये जाने एवं उसी दिन अर्थात दिनॉक 05.04.2025 के अपरान्ह 12.30 बजे खोलने हेतु प्रकाशित किया गया था. कि डाउनलोडिग, अपलोडिंग एवं खुलने की तिथि में अपरिहार्य कारणोंवश आंशिक संशोधनोपरान्त उक्त कार्यो की ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर दिनॉक 11.04.2025 को अपरान्ह 12.00 बजे तक डाउनलोड एवं अपलोड की जा सकेगी एवं उसी दिन अर्थात दिनॉक 11.04.2025 के अपरान्ह 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी। शेष नियम व शर्ते पूर्ववत रहेगी।

उप निदेशक (निर्माण)

कार्यालय ग्राम पंचायत सांवडीह वि0ख0 गौर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अवधेश कुमार) ग्राम प्रधान **(महेन्द्र प्रजापति)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत बसहवा वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अजय कुमार) ग्राम प्रधान **(अरविन्द कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत चितरगडिया वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 17–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 18–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(रणजीत चौधरी) ग्राम प्रधान **(अरविन्द कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत भैसिंहपुर वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(प्रेमराज) ग्राम प्रधान **(आनन्द सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत सूरतगढ़ वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(रामचरन) ग्राम प्रधान **(चन्द्रशेखर)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत बलुआ चौबे वि0ख0 गौर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(सावित्री देवी) ग्राम प्रधान **(महेन्द्र प्रजापति)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, दो गिरफ्तार

संवाददाता–संतकबीरनगर। जिले के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के भरपुरवा के पास गुरुवार की रात पुलिस से दो बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों ओर से फायरिंग हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। उनके पास से छीने गए मंगलसूत्र, 12 बोर का कट्टा, घटना में प्रयुक्त बाइक, मोबाइल, मिर्ची का पाउडर आदि बरामद हुआ है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि गुरुवार की रात करीब एक बजे कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के भरपुरवा के पास कोतवाल पंकज कुमार पांडेय, औद्योगिक क्षेत्र चौकी इंचार्ज अशोक कुमार दूबे, मगहर चौकी इंचार्ज मनीष जायसवाल और सहयोगी पुलिस कर्मियों ने घेराबंदी की। बाइक से दो बदमाश आते दिखे तो पुलिस कर्मियों ने रोकना चाहा तो बदमाशों ने फायरिंग शुरु कर दी।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0–111/2023

रामसहाय

बनाम

रामचन्दर आदि

1. रामचन्दर पुत्र लौटू 2. लाल बिहारी 3. हरिलाल पुत्रगण राम चन्दर साकिनान मौजा पिपरा पठान तप्पा कपरी महसो परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला–बस्ती

–प्रतिवादीगण

तारीख पेशी 23–05–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 23 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)

(आर्डर 5 कायदा 3)

न्यायालय–श्रीमान जिला जज महोदय बस्ती जिला–बस्ती

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र सं0 229/2024

सुरेन्द्र नारायन पाण्डेय आदि

बनाम

किशुन चन्द्र आदि

1. किशुन चन्द्र लगभग उम्र 82 वर्ष पुत्र लक्ष्मी नारायन 2. राजेश लगभग उम्र 41 वर्ष 3. रमेश लगभग उम्र 36 वर्ष पुत्रगण रामअचल साकिनान रतास उर्फ कप्तानगंज तप्पा नवाई परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती –विपक्षीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 दीवानी प्र0सं0

तारीख पेशी 28–04–2025

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2025 के माह 04 के 28 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा

(आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय–श्रीमान एकादशम् अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

प्रकीर्णवाद सं0–169/2018

राम अछैबर

बनाम

सुरेन्द्रनाथ आदि

1/1 धीरेन्द्र तिवारी उम्र लगभग 32 साल 1/2 शिवेन्द्र तिवारी उम्र लगभग 24 साल 1/3 राजेन्द्र तिवारी उम्र लगभग 23 साल 1/4 उमा तिवारी उम्र लगभग 28 साल पुत्रगण सुरेन्द्रनाथ 1/5 कुसुम तिवारी उम्र लगभग 52 साल पत्नी स्व0 सुरेन्द्र नाथ साकिनान मौजा महापात्र टोला दक्षिणदरवाजा तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 29–05–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 29 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)

(आर्डर 5 कायदा 3)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

कंटेम्प्ट प्रकीर्णवाद सं0 01/2025

दिनेश चन्द्र

बनाम

जाफर अली आदि

2. शेषमन 3. रामधनी पुत्रगण कंचन 4. श्रीमती गुडडी देवी पत्नी संजीव कुमार 5. श्रीमती राखी देवी पत्नी अखिलेश कुमार 6. बैजनाथ पुत्र रामबहाल 7. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी संतराम मौर्य साकिनान मौजा भूवंर निरंजनपुर तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती

–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 30–05–2025

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2025 के माह 05 के 30 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**

संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।

मो09450567450 9336715406,

ई.मेल**bhartiyabasti@yahoo.com**

bhartiyabasti@gmail.com